HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15489/2025

Balmukund @ Pappu Gurjar S/o Shambhu Gurjar, Aged About 40 Years, R/o Indergarh (Satkudiya) Police Station Vijay Nagar, District Beawar. (At Present in Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shyam Bihari Gautam, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना विजय नगर, ब्यावर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 190, 329(3), 126(2), 115(2), 352, 103(1) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है। घटना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने चांदमल व अमरी देवी के कोई चोट नही पहुंचाई। अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त मौके पर पहुंचा था। प्रकरण में अमरी चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसके साथ घटना भी घटित हुई है, उसने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के

बयान में यह कहा है कि पप्पू गुर्जर वहां था और उसने यह कहा कि ये मर गये हैं, यहां से चलो। अमरी देवी ने अपने उक्त बयान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नही दी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चांदमल की मृत्यु कारित नही की गयी है ना ही अमरी के कोई चोट पहुंचाई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.07.2025 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण अमरी देवी व चांदमल के चोट पहुंचाने का आरोप है, जिससे चांदमल की मृत्यु हो गयी। साक्षीगण ने धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से थार जीप बरामद हुई है, उसके विरुद्ध 8 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.07.2025 को करीब 2.00 पी.एम. पर चांदमल व अमरी देवी कृषि कार्य कर रहे थे। तब वहां श्रवण आया और उनके साथ गाली–गलौच कर लकड़ी व कुल्हाड़ी से मारपीट की। थोड़ी देर में गीता देवी, ओमा, कानाराम व मैना गुर्जर आये, इन्होंने भी अमरी देवी व चांदमल के साथ मारपीट की। इतने में श्रवण का रिश्तेदार पप्पू गुर्जर, जो प्रार्थी/अभियुक्त है, संतोष देवी, देवीलाल व गुलाब गुर्जर भी आ गये और इन लोगों ने पहले से मौजूद सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर लकड़ी

व कुल्हाड़ी से चांदमल के संपूर्ण शरीर पर चोट पहुंचाई और अमरी देवी के हाथ–पैर पर चोट मारी। अन्य सहअभियुक्तगण के साथ प्रार्थी/अभियुक्त पप्पू गुर्जर द्वारा भी चांदमल व अमरी देवी के साथ मारपीट करना बताया गया है। अमरी देवी के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके पति के साथ मारपीट करने से उसके पति की मृत्यु होना बताया है। अमरी देवी ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में मौके पर काले रंग की गाड़ी में प्रार्थी/अभियुक्त का अपनी पत्नी संतोष के साथ मौके पर उपस्थित होना बताया है तथा दोनों पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट करना बताया है। शांती देवी व ताराचंद ने अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में पप्पू गुर्जर का नाम लेते हुए उसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया है।

मृतक चांदमल के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र के अनुसार उसके शरीर पर कुल 10 चोटें थीं, जिसमें से 4 चोट गंभीर प्रकृति की थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी चोटें, जो मृत्यु कारित होने से पूर्व की थीं, के फलस्वरूप चांदमल की मृत्यु होना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर मृतक चांदमल की मृत्यु कारित करने व आहता अमरी देवी के चोटें पहुंचाने का गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में मृतक चांदमल की मृत्यु का कारण उसकी टिबिया फिबुला अस्थि का अस्थिभंग हो जाने व ऊपरी अंगों पर मारपीट से रक्तस्त्राव होना अंकित किया गया है। उसके विरुद्ध 8 अन्य प्रकरण भी दर्ज होना बताया गया है, जिनमें से एक प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध कर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना व दो प्रकरणों में राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त होना बताया गया है। प्रकरण में आहता अमरी देवी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान विचारण न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध होना शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बालमुकुन्द उर्फ पप्पू गुर्जर पुत्र शंभू गुर्जर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /17